

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा, पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत -न्याय आपके द्वारा कैम्प थूम्वली
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 519/2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

तहसीलदार, पचपदरा

1. निम्बाराम, कानाराम पुत्र मंगलाराम रैबारी वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम 59,60,66,86 भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक :- 25.06.2018


पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प थूम्वली पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपटित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आश्रय का प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सन्वत् 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम बामणी में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे में अंकन नहीं है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते/ सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे हैं।

अतः मौजा बामणी के खसरा न० 1014/554, 553 रकबा क्रमशः 1.12, 0.18 बीघा में संलग्न परिशिष्ट 'अ' में चल रहे रास्ते/ डामर सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए परिशिष्ट 'ब' में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण को दर्ज किया जाकर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गया। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। जिसने कोई आपति पेश नहीं की।

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात में होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपति प्रकट नहीं की है। पटवारी हल्का मौजा बामणी ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे में 'ए' से 'बी', बिन्दु तक खसरा न० 1014/554, 553 रकबा क्रमशः 1.12, 0.18 बीघा रास्ता वर्तमान में चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे में तरमीम करने की प्रार्थना की है। विप्रार्थीगण ने भी इस पर कोई ऐतराज नहीं किया है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।



उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा बामणी में अवस्थित खसरा न0 1014/554, 553 रकबा कमरा: 1.12, 0.18 बीघा के बिन्दु 'ए' से 'बी' वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत् खातेदार के खाते में ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश दिनांक 25.06.2018 को सुनाया गया ।



(भागीरथ शर्मा)
जय खण्ड अधिकारी,
बल्लितरा